न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
17/2022	दावा 88 RTA	04.02.2022	16.03.2022

मो. इब्राहिम खान पुत्र श्री नबू खां जाति कायमखानी निवासी आथुणा मोहल्ला, मदीना मस्जिद के पास, वार्ड नं. 13 नया, चूरू जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

—प्रतिवादी—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर वादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि वादी की पैतृक भूमि है। वादी के पिता नबू खां का स्वर्गवास होने के बाद उनका विरासतन इन्तकाल वादी के घर परिवार में प्यार से बोले जाने वाले इब्राहिम खां के नाम गलत दर्ज हो गया जो आज तक गलत ही दर्ज चल आ रहा है जबकि वादी का सही व उचित नाम मो. इब्राहिम खान है। वादी के पिता नबू खां के इब्राहिम खान नाम की अन्य कोई सन्तान नहीं है तथा कस्बा चूरू में भी इब्राहिम खान पुत्र नबू खां नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादी के समस्त दस्तावेजों राशन कार्ड सं. 10490100379, आधार कार्ड सं. 946346916940, पेन कार्ड HBZPK7066K, पासपोर्ट सं. J4208309 में वादी का सही नाम मो. इब्राहिम खान अंकित है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इब्राहिम खां दर्ज चला आ रहा है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। वादी को विदेश से आने के बाद हल्का पटवारी से के.सी.सी. बनवाने के लिये सम्पर्क करने पर पता चला कि उसका नाम खातेदारी में गलती से इ[illegible] है जबकि प्रत्येक दस्तावेज में नाम मो. इब्राहिम खान अंकित है। राजस्व रिकार्ड में [illegible] दर्ज होने का पता चलने पर वादी ने प्रतिवादी को कहा व कहलवा[illegible] का नाम मूल दस्तावेजों के अनुसार सही अंकन करवा देवें मगर प्र[illegible] रहे व आखिरकार दि[illegible].02.2022 को प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दि[illegible] लिहाजा इसी दिनांक [illegible]2022 से वाद कारण तथा वाद हैतुक वादी को वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाये जिसके लिए वादी ने यह दावा न्यायालय में पेश किया है। दावा के पक्षकारों के निवास स्थान एवं वादगत कृषि भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं इसलिए माननीय न्यायालय को दावा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादी की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम इब्राहिम खां पुत्र नबू खां के बजाय मो. इब्राहिम खान पुत्र नबू खां दुरूस्त कर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में सही नाम का अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं जवाब न देकर "No Objection" अंकित किया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित पैरोकार राज द्वारा "No Objection" अंकित करने पर अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से इब्राहिम खान दर्ज हो गया जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम मो. इब्राहिम खान अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से उसे केसीसी, कृषि मुआवजा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा उसके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी ने अनापत्ति प्रकट की है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम इब्राहिम खान पुत्र नबू खां के स्थान पर मो. इब्राहिम खान अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादी का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:35 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम इब्राहिम खां पुत्र नबू खां दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जिसको वादी दुरूस्त करवा कर मो. इब्राहिम खान पुत्र नबू खां करवाना चाहता हैं। वादी के राशन कार्ड सं. 10490100379, आधार कार्ड सं. 946346916940, पेन कार्ड HBZPK7066K, पासपोर्ट सं. J4208309 में वादी का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान अंकित है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित पैरोकार राज को उक्त दुरूस्ती के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार राज ने "No Objection" अंकित करते हुए बहस में कथन किया है कि वादी का नाम उनके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम इब्राहिम खां दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादगत कृषि भूमि वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि रही है। वादी के पिता का स्वर्गवास होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज विरासतन नामान्तरण में वादी का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान के स्थान पर इब्राहिम खां गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम मोहम्मद इब्राहिम खान अंकित है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नामों में भिन्नता होने से वादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना प्रत्यक्ष है। वादी वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार काश्तकार है। इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम इब्राहिम खां के स्थान पर अपने दस्तावेजों में अंकित नाम मोहम्मद इब्राहिम खान के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम इब्राहिम खां पुत्र नबू खां के स्थान पर मोहम्मद इब्राहिम खान पुत्र नबू खां दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:35 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

मो. इब्राहिम खान पुत्र श्री नबू खां जाति कायमखानी निवासी आथुणा मोहल्ला, मदीना मस्जिद के पास, वार्ड नं. 13 नया, चूरू जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–प्रतिवादी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नं. 17 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं पैरोकार राज के "No Objection" के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 18, 31, 40 तादादी क्रमशः 6.1335 हैक्टेयर, 3.2627 हैक्टेयर, 8.9790 हैक्टेयर कुल तादादी 18.3752 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में वादी का नाम इब्राहिम खां पुत्र नबू खां के स्थान पर मोहम्मद इब्राहिम खान पुत्र नबू खां दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:35 IST
Reason: SelfAttested